प्रस्ताव

वार्षिक आम सभा बैठक

सुरक्षा • विकास • जागरण • एकता

अप्रैल 15th & 16th, 2017

राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच

Forum for Awareness of National Security

गुरुग्राम

प्रस्ताव क्र.-2

आतंकवाद बनाम पर्यटन

साल 1947 में स्वतंत्रता हासिल करने के तुरंत बाद भारत जब देश की रियासतों को एकीकृत करने की कोशिशों में जुटा था, उसी दौरान निकटतम पड़ोसी पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में हमला कर दिया था। हालांकि, भारत ने इस हमले का प्रतिरोध करते हुए इसे नाकाम कर दिया और अपने खोए हुए इलाके (तथाकथित पीओके) को नियंत्रण में लेकर उसे संभालने ही वाला था कि हमारी सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और गलती से इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भेज दिया। साथ ही, जम्मू-कश्मीर को एक अलग संविधान प्रदान करते हुए धारा 370 को भी लागू कर दिया। यह भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतरसंघर्ष, विवाद और झगड़े की वजह बना रहा। इसके परिणामस्वरूप राज्य का बेहद कम विकास हुआ। पाकिस्तान ने साल 1965,1971 और 1999 में भारत पर हमला किया। इन सभी हमलों में पराजय का मुंह देखने के बाद पाकिस्तान ने छद्म युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) छेड़ दिया और तीन दशक से भी अधिक समय से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है। इस वजह से बाज़ारों, पूजा स्थलों, संसद आदि में आतंकवादि हमला हुआ। साथ ही, पाकिस्तान,जम्मू और कश्मीर के अलगाववादियों को भी प्रशिक्षित करता रहा,जो फिरभारत में घुसपैठ कर विघटनकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और दे रहे हैं। जनमत संग्रह में जीत हासिल करने को लेकर उसने जम्मू-कश्मीर से गैर-मुस्लिम आबादी को बाहर करना शुरू किया और लूट, बलात्कार आदि बर्बर व अस्वीकार्यअत्याचारों को अंजाम दिया। इन विघटनकारी गतिविधियों ने राज्य केविकास कार्य को ठप्प कर दिया। घाटी मेंस्थानीय लोगएएफएसपीए (सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम) का विरोध कर रहे हैं। हाल में इन लोगों ने रक्षा और पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने भी शुरू कर दिए, जो आतंकवादियों से निपटने में लगेहैं।अलगाववादी तत्वों द्वारा राज्य की रक्षा,सुरक्षा और विकास के सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया गया।विडंबना यह रही कि एक बाद एक आई सभी सरकारों ने इन अलगाववादियों को सुरक्षा मुहैया करवाती रही। धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर के विकास में सहायता के बजाय वहां की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसने घाटी के पर्यटन पर भी असर डाला और इसे बेहद धीमा कर दिया, जोकि राजस्व अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक अहमस्रोत था।

जम्मू-कश्मीर मुद्दे के अलावा, वहां अन्य आंतरिक सुरक्षा समस्याएं भी हैं। उस समय की तत्कालीन भारत सरकार भूमि वितरण और प्रबंधन पर ध्यान देने में विफल रही। साल 1968 में यह नक्सलवाद के निर्माण के रूप में सामने आया, जोकि राज्य के खिलाफ काम करने वाला एक सशस्त्र संगठन बना। इस संगठन ने 10 से अधिक राज्यों में अपनी जड़े फैला लीं। इसमें पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की माओ संस्कृति ने पूरा समर्थन दिया और हथियार व अन्य सामग्री समेत पूरा मदद दिया। इसने सड़कों, स्कूलों, मंदिरों को नष्ट कर दिया और पुलिसकर्मियों व अन्य सूचना प्रदाताओं (इन्फॉर्मर) को मार दिया। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड शामिल रहे। अपहरण, हत्या, बलात्कार, सरकारी संपत्तियों की क्षति और अन्य अवरोधक गतिविधियों ने इन राज्यों के विकास और पर्यटन को बाधित किया। गुमराह हुए इन युवाओं को राष्ट्र की मुख्य विकास धारा में लाने के सभी प्रयास अब तक सफल नहीं हुए हैं। न केवल इन राज्यों में बल्कि अन्यत्र भी, मूलभूत बुनियादी ढांचे की कमी से देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। माओवादियों का मूल उद्देश्य भूमि सुधार और प्रबंधन पीछे रह गया और यह विघटनकारी और विभाजनकारी गतिविधियों में तब्दील हो गया। और अब वे राष्ट्र को नियंत्रित और शासन करना चाहते हैं।

सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, सभी तरह के विकास को इन तत्वों से सुरक्षा की आवश्यकता है और इसकी सराहना की जाएगी। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त वर्णित सभी जगहों में पर्यटन की मजबूत संभावनाएं हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती हैं। कश्मीर न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे सुंदर राज्य है। इसे जन्नत (स्वर्ग) भी कहा जाता है। यहां के निवासियों को आतंकवाद यापर्यटन के बीच चयन करना चाहिए। इसी तरह मध्य प्रदेश, झारखंड आदि जैसे राज्यों में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, शैक्षिक और धार्मिक महत्व की स्थानें हैं। यह एक स्थापित आदर्श है कि जब अनुनय, अपील और सुझाव विफल हो जाते हैं तो अन्य मजबूत उपायों को अपनाया जाना चाहिए।

संकल्प :

निम्नलिखित कदम उठाए जाने की जरूरत है;

(1) उपरोक्त वर्णित सभी जगहों पर सड़कों, शैक्षणिक संस्थानों, नौकरी के अवसर और रोजगार सृजन जैसे बुनियादी ढांचे का विकास।

(2) अलगाववादियों की सुरक्षा पर रोक और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई।

(3) जबकि भारतीय संविधान अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन यह अप्रतिबंधित नहीं है।राष्ट्र विरोधी भाषण या कार्रवाई करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

(4) पत्थरबाजी के शिकार सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई के परिणामों के बारे में पत्थर फेंकने वालों को सलाह देना। ऐसे लोगों कावित्तपोषण और उकसाने वालोंके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जरूरत। इनके साथ राष्ट्र विरोधी की तरह व्यवहार करें और उन्हें सख्त सजा दें।

(5) पत्थरबाजों को सचेष्ट करना होगा कि पत्थर फेकने की प्रतिक्रिया में सुरक्षाबल कठिन करवाई कर सकते है |

(6) विदेशी नागरिकों को परेशान, धमकाने और छेड़छाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ शीघ्र और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में एक उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त कारणों के चलते अन्य देशों ने अभी तक भारत आने वाले अपनों नागरिकों को सलाह (एडवाइजरी) जारी किए हैं। हमारे दूतावासों और उच्चायोगों को भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को प्रोमोट करना चाहिए और उन्हें प्रकाश में लाना चाहिए। उन्हें केवल आगरा, जयपुर और दिल्ली के समीपवर्ती स्थलों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

(7) धारा 370 को अब बिना किसी इंतजार के निष्प्रभावी करना चाहिए ताकि जम्मू और कश्मीर विकास शुरू हो सके।

(8) पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। सभी अधिकारी चाहे वह सरकारी कर्मचारी हों, होटल कर्मचारी, टैक्सी ड्राइवर, गाइड और पर्यटन से जुड़े किसी भी शख्स को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और संबंधित जांच (स्क्रीनिंग) भी की जानी चाहिए।

(9) सभी राज्यों से पर्यटक स्थलों को विकसित करने और उनके संरक्षण के अलावा पर्यटकों को समुचित रक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा जाना चाहिए। ज्ञात हो कि पर्यटन राजस्व अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।